

राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निराकरण) अधिनियम 1974.

**The Rajasthan Agricultural Credit Operations
(Removal of Difficulties) Act 1974.**

अध्याय-1

- 1(i) संक्षिप्त शीर्षक एवं विस्तार (Short title and extent)
(ii) विस्तार—समस्त राजस्थान (प्रभावी 21 सितम्बर, 1974) (Extent)
2. परिभाषाएं— (Definitions)
- (क) कृषि और कृषि प्रयोजन (Agriculture and Agriculture Purposes) कृषक द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु किया गया कार्य सुधार, विकास इत्यादि कार्य।
- (ख) "कृषक" (Agriculturist) कृषि सम्बन्धी कार्य करने वाला व्यक्ति
- (ग) "कृषि उद्योग निगम" इसका तात्पर्य कृषि उद्योग निगम राजस्थान से है (समाप्त)
(Agro Industries Corporation)
- (घ) "बैंक" (Bank) बैंककारी अधिनियम 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 एवं सबसिडियरी बैंक अधिनियम 1959 के अन्तर्गत वित्तीय लेन-देन करने वाली अधिकृत संस्था से है या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु अधिकृत गजट में उल्लेखित अन्य वित्तीय संस्था से है।
- (ङ.) सहकारी समिति (Co-operative Society) राजस्थान कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएं जो इनके सदस्यों को सामूहिक रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।
- (च) वित्तीय सहायता कृषि हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण अग्रिम अनुदान आदि की (Financial Assistance) राशि से है।
3. अधिकारों के हस्तांतरण पर रोक हटाना— Removal of restrictions on alienation :-
शासन ने इसके अन्तर्गत किसी काश्तकार को अपने हित/अधिकारों को वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में (वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु) भूमि हस्तान्तरित करने के अधिकार दिये हैं।
4. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे अधिकारों के साथ अन्य संक्रमणीय अधिकारों को न रखने वाले कृषकों को निहित कर सकेगी :-
State Government may by notification vest Agriculturist not having alienable rights:
इसके तहत ऐसे काश्तकार जिनको ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जैसे खुदकाश्त काश्तकार, उप अभिधारक, टुकड़ों के धारक, भू-दान धारक, गैर खातेदार इत्यादि किस्म के काश्तकारों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु रहन रखने के अधिकार अधिसूचना जारी कर दे सकती है।
5. एक बैंक के पक्ष में फसल तथा अन्य चल सम्पत्ति पर प्रभाव :-
(Charges on crop and other movable property in favour of bank) :-
- (1) बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के निमित्त काश्तकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु रहन रखी गई भूमि पर खड़ी फसल व अन्य चल सम्पत्ति पर बैंक के हित के विस्तार तक बैंक का अधिकार होगा।
- (2) किसी काश्तकार को बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता किसी सहकारी सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता पर पूर्विकता (प्राथमिकता) रखेगी।
- (3) बैंक को संदेय समस्त प्रकार की राशियों (ऋण व ब्याज सहित) की वसूली हेतु शासन द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फसल व अन्य उत्पाद व अन्य अचल सम्पत्ति को अधिकार में लिये जाकर निलाम व विक्रय की कार्यवाही की जा सकने के अधीन होगी।
6. घोषणा द्वारा एक बैंक के पक्ष में भूमि पर प्रभार का सृजन :-
(Creation of Charge on land in favour of a bank by declaration) :-
- (1) इस धारा के अन्तर्गत कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के क्रम में कृषक द्वारा अपनी भूमि एक प्रभार के रूप में बैंकों के पक्ष में रहन रखने का अधिकार होगा।
- (2) ऐसी किसी रहन रखी गई सम्पत्ति की घोषणा में फेरबदल कृषक द्वारा बैंक की अनुमति से किया जा सकेगा तथा कोई भी फेरबदल, फेरबदल की गई दिनांक से ही प्रभावी होगा।
7. प्रभारों तथा बंधकों के सृजन में निर्योग्यता का हटाया जाना :-
(Removal of disabilities in creation of charges and mortgages)
- अन्य किसी बात के होते हुए भी एक कृषक के द्वारा किसी सहकारी सोसायटी को पहले से भारित की गई या रहन रखी गई भूमि को भी एक बैंक के पक्ष में वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु रहन रखी जाना अथवा प्रभारित की जाना कृषक के लिए विधीपूर्ण होगा।

8. सरकार, एक बैंक और एक सहकारी सोसायटी के रूप में प्रभारों तथा बंधनों की प्राथमिकता :
(Priority of charges and mortgages in favour of Govt., a bank and a Co-operative Society)
- (1) अन्य प्रवृत्त किसी विधी के विरुद्ध किसी बात के होते हुए—
- (क) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात शासन या सहकारी सोसायटी के पक्ष में प्रभारित या रहन रखी गई कोई भूमि या अन्य हित बैंक द्वारा कृषक को उपलब्ध कराई गई किसी वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति (securities) के रूप में एक बैंक के पक्ष में प्राथमिकता रखेगा।
- (ख) बैंक द्वारा कृषक को दी गई वित्तीय सहायता के फलस्वरूप प्रभारित अथवा रहन रखी गई भूमि या उसके किसी प्रकार के हित पर बन्धक के रूप में उस बैंक की प्राथमिकता होगी यद्यपि उस तिथी से पूर्व किसी व्यक्ति (सरकार सहकारी सोसायटी या अन्य बैंक के अतिरिक्त) के पक्ष में उक्त भूमि पर बंधक या प्रभार हो तो।
- (2) जहां किसी कृषक द्वारा एक ही भूमि पर राज्य सरकार कॉपरेटिव सोसायटी और बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु अलग अलग प्रभार या बंधक किया जा चुका है वहां वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया प्रभार या बन्धक विकास हेतु ऋण के रूप में प्राप्त की गई राशि किसी सरकार कॉपरेटिव सोसायटी और बैंक के पक्ष में अन्य कार्य के रूप में रखे गये बन्धक पर प्राथमिकता रखेगा।
- इस प्रकार विकास प्रयोजनों के लिए ऋण शब्द के प्रयोजनार्थ प्रभार या बन्धक उनके सृजन (प्रारम्भ) की तारीखों के अनुसार प्राथमिकता रखेगा।
- (3) यह धारा बैंक एवं सहकारी सोसायटी से उधार लेने की प्रक्रिया (स्थिति) पर प्रभावी होगी।
9. बैंकों के पक्ष में प्रभार तथा बंधक के रजिस्ट्रीकरण :—
(Registraion of Charges & Mortgages in favour of Banks)
- (1) प्रत्येक ऋण/उधार लेने वाले कृषक को अपनी भूमि के हिताधिकार वित्तीय सहायता देने वाले बैंक के पक्ष में प्रभार या बन्धक पत्र के रूप में पंजीयन कराना होगा। तथा इसकी सूचना निर्धारित समय में बैंक को उस क्षेत्र के उप पंजीयक या तहसीलदार को देनी होगी।
- (2) उप पंजीयक बन्धक बाबत अधिघोषणा प्राप्त करते हुए उपधारा (1) में दिये गये निर्देश के अनुसार अपने अभिलेख में तत्सम्बन्धी विवरण दर्ज करेगा।
10. बैंक के पक्ष में सृजित प्रभार अथवा बंधक का अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाना :
(Noting of Charge or mortgage credited in favour of a bank in the record of rights)
- अभिलेखों में यथा जरिये नामान्तरण एवं जमा बंदी में लाल स्याही से इस बन्धक पत्र या प्रभार का अंकन किया जायेगा।
11. एक कृषक उधार लेने वाले द्वारा अभिधृति के सृजन पर निर्बन्धन :
(Restriction on creation of Tenancy by an Agriculturist) :
- (1) जब तक कृषक की भूमि किसी बैंक के पक्ष में वित्तीय सहायता के विरुद्ध बंधक या रहन रहती है तब तक वह उसे बेचान, हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।
- (2) इसके विरुद्ध किया गया कोई बेचान या हस्तान्तरण प्रभाव शून्य (Null & Void) समझा जायेगा।
12. न्यायालय आदेशिका द्वारा कुर्की तथा विक्रय के वर्जन का निराकरण :—
(Removal of Bar to attachment and sale by process of court)
- न्यायालय ऋण एवं ब्याज की सम्पूर्ण वसूली के लिए अपने खर्चों को सम्मिलित करते हुए भूमि इत्यादि को कुर्क कर निलाम आदि की कार्यवाही कर सकने में सक्षम है।
13. एक विहित प्राधिकारी के माध्यम से एक बैंक को देय की वसूली :—
(Recovery of dues of a bank through a prescribed Authority)—
- (1) एक विहित प्राधिकारी द्वारा (जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित) बैंक के आवेदन पर ऋण व उधार की वसूली की जा सकेगी। वसूली उसी भूमि से की जा सकेगी जो बैंक को बन्धक रखी गई है अन्य अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकेगा जब तक कि इस सम्बन्ध में कृषक अथवा उसके प्रत्याभूति दाता को सुनवाई का एक अवसर नहीं दे दिया जाता। इस हेतु (प्रक्रिया हेतु) तीन माह का समय निर्धारित किया गया है।
- (2) उपधारा (1) के निबंधन में विहित प्राधिकारी अधिकारी द्वारा जारी आदेश सिविल न्यायालय की एक डिक्री का होना समझा जायेगा।
14. अचल सम्पत्ति का अर्जन करने तथा व्ययन करने के लिए एक बैंक का अधिकार :—
(Right of Bank to acquire and dispose of immovable property)—
- (1) बैंक को बन्धक रखी गई प्रत्येक भूमि को अर्जित कर बेचने का अधिकार होगा।
- (2) शासन द्वारा निर्धारित अवधि में इसको बेचान किया जा सकेगा।
- (3) इस प्रकार अर्जित भूमि को बेचान हेतु लम्बित रखते हुए उसे लीज पर दे सकता है। (लीज अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी)
- (4) अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि को गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति/कृषक को बेचान नहीं किया जा सकेगा।
- साथ ही सीलिंग सीमा का भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा भूमि गैर कृषक को नहीं बेची जा सकेगी।

15. अधिकतम सीमा के प्रयोग में भूमि के अर्जन पर निर्बंधनों से बैंकों को छूट :-
(Exemption to Banks from restrictions on acquisition of land in exercise of ceiling)–
बैंकों को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिकतम सीमा से मुक्त रखा गया है।
16. बैंक द्वारा सोसायटी के गैर सदस्यों तथा सहकारी सोसायटी का वित्त पोषण करना :-
(Financing of Co-operative Societies and non-members of co-operative Societies by Bank)
धारा 16 का राजस्थान अधिनियम संख्या 9 सन् 1985 (दिनांक 08.05.1985) के द्वारा विलोपित कर दिया गया। (विलोपित)
17. एक सहकारी सोसायटी का सदस्य होने के लिए बैंक पात्र :-
(Bank eligible to become member of a Co-operative Society) :-
किसी सहकारी सोसायटी का सदस्य होने के लिए बैंक को विधीपूर्ण माना गया है।
18. बैंकों से उधार लेने की सहकारी सोसायटी की शक्ति :-
(Power of Co-operatives Societies to borrow from Banks) :-
सहकारी संस्थाओं के नियमों के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं द्वारा बैंकों से ऋण प्राप्त करने को विधीपूर्ण माना गया है।
19. एक बैंक द्वारा एक सहकारी सोसायटी के अभिलेखों का निरीक्षण :-
(Inspection of Books of a Co-operative Society by a Bank) :-
(1) बैंक के पास किसी सहकारी सोसायटी के अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा जो वित्तीय सहायता के कारण ऋणी हो।
(2) निरीक्षण सहकारी सोसायटी की लिखित पूर्व मन्जूरी के साथ बैंक के किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
(3) बैंक का कोई भी अधिकारी जो इस प्रकार का निरीक्षण कर रहा है युक्तियुक्त समय पर लेखा बहियों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों नकद तथा अन्य परिसम्पत्तियों की जांच/निरीक्षण कर सकेगा और सोसायटीज का यह दायित्व होगा कि ऐसा प्रत्येक अभिलेख अधिकारी को उन्हें दी जाने वाली वित्तीय सहायता या दी गई वित्तीय सहायता के मूल्यांकन हेतु उपलब्ध करावे।
20. एक बैंक तथा सहकारी सोसायटी के बीच विवाद :-
(Disputes between a bank & a Co-operative Society) :-
(1) ऐसा कोई विवाद जो सोसायटी के संविधान, व्यवस्था या व्यवसाय से सम्बन्धित हो रजिस्ट्रार कोपरेटिव सोसायटीज को निर्णय हेतु भेजा जायेगा।
(2) पूर्वगामी उपधारा के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया कोई मामला एक विवाद है या नहीं का विनिश्चयन रजिस्ट्रार द्वारा किया जायेगा। जिसका विनिश्चयन अंतिम होगा।
21. विवादों का निपटारा : (Settlement of Disputes)
(1) यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाये कि उसके सामने लाया गया मामला एक विवाद है तो वह उसे निस्तारित कर देगा अथवा उसे बोर्ड ऑफ नॉमिनीज को निपटारे हेतु भेज देगा।
(2) उपरोक्त उपधारा के अन्तर्गत बोर्ड ऑफ नॉमिनीज को भेजा गया विवाद वापिस मंगा कर स्वयं निस्तारित कर सकेगा या किसी अन्य नॉमिनी या बोर्ड ऑफ नॉमिनीज को भेज सकेगा।
(3) रजिस्ट्रार यदि उचित समझे तो विवाद के जटिल प्रश्नों के विधिक समाधान तक कार्यवाही को निलंबित कर सकता है।
22. विवादों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया (Procedure for hearing Disputes) रजिस्ट्रार या उसका बोर्ड ऑफ नॉमिनीज उसी प्रकार विवाद की सुनवाई करेगा जैसा रजिस्ट्रार द्वारा विहित किया जाय।
23. रजिस्ट्रार या उसके नाम निर्देशिति या नाम निर्देशितियों के बोर्ड का विनिश्चयन (Decision of Registrar or his nominee or Board of Nominees) जब विवाद विनिश्चयन के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, तो रजिस्ट्रार या उसका नॉमिनी या बोर्ड ऑफ नॉमिनीज को संदेय फीस व खर्च के पश्चात् उसका अधिनिर्णय कर सकेंगे। ऐसा अधिनिर्णय इस आधार पर मात्र अवैधानिक होगा कि विवाद का विनिश्चयन कालावधि समाप्त होने के पश्चात् किया गया साथ ही विवाद राज्य के सहकारी अधिकरण द्वारा अपील या पुनरावलोकन या पुनरीक्षण के अधीन होगा।
24. अधिनिर्णित धन की वापसी (Recovery of money awarded) धारा 23 के अन्तर्गत किये गये अधिनिर्णय की अनुपालना नहीं होती है तो रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र पर एक सिविल न्यायालय की डिक्री होना समझा जायेगा तथा इसका क्रियान्वयन कोर्ट की डिक्री के समान होगा।
25. एक सहकारी सोसायटी के व्यतिक्रम करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए एक बैंक की शक्ति (Power of Bank to proceed against defaulting members of a Co-operative Society)
(1) यदि कोई कॉपरेटिव सोसायटी एक बैंक को इसका ऋण संदाय करने में असमर्थ रहती है तो व्यक्ति क्रम करने वाले सदस्यों के विरुद्ध राज. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1965 के अधीन कार्यवाही करने हेतु निर्देश देगा।
(2) यदि सहकारी समिति की कोई समिति 90 दिन में कार्यवाही निष्पादन करने में असमर्थ रहती है तो बैंक स्वयं कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

- (3) जब बैंक को किसी ऋणी कोपरेटिव सोसायटी के विरुद्ध डिक्री अथवा अवार्ड प्राप्त हो जाता है तो बैंक प्रशासन वसूली सर्व प्रथम तो सोसायटी की परिसम्पतियों से व द्वितीयत कॉपरेटिव सोसायटी के सदस्यों से उनकी ऋण की सीमा तक वसूली कर सकेगा।
26. बैंकों को उपलब्ध होने वाली सोसायटी की लेखा परीक्षा, निरीक्षण तथा जांच रिपोर्ट (Audit/Inspection and enquiry reports of Society to be available to Banks) सहकारी सोसायटी का रजिस्ट्रार राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 1965 के उपबन्धों के अनुसार लेखा परीक्षा या जांच या निरीक्षण में सूचित दोषों को वित्त पोषण करने वाले एक बैंक के ध्यान को आकर्षित करेगा। आवश्यकता होने पर निरीक्षण, जांच, परीक्षण इत्यादि की प्रति भी उपलब्ध कराई जायेगी।
27. धन उधार देने से सम्बन्धित विधानों से छूट तथा कृषक के ऋण अनुतोष :-
(Exemption from legislation relating to money lending and agriculturist debt relief)
धन उधार देने से कृषि के ऋण अनुतोष से संव्यवहार करने वाली तत्समय प्रवृत्त कोई विधि एक बैंक से एक कृषक को उपलब्ध वित्तीय सहायता पर लागू नहीं होगी।
28. संयुक्त हिन्दु कुटुम्बों के प्रबन्धकों द्वारा निष्पादित बंधक :-
(Mortgages executed by managers of joint hindu families)
- (1) वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु एक संयुक्त हिन्दू परिवार के मैनेजर द्वारा किया गया बन्धक परिवार के सभी सदस्यों पर लागू होगा या आबद्धकारी होगा।
- (2) जहां किसी बैंक के पक्ष में निष्पादित एक बंधक पर आपत्ति इस आधार पर होती है कि इसका निष्पादन उसके सदस्यों पर आबद्धकारी न होने के सम्बन्ध में साबित करने का भार यह अभिकथन करने वाले पक्षकार पर होगा।
29. अधिनियम 32 सन् 1956 की धारा 8 का उपांतरित लागू होना :-
(Modified application of section 8 of Act 32)
हिन्दु अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 इस उपांतरण के अन्तर्गत एक बैंक के पक्ष में बंधकों पर लागू होगा और उसमें न्यायालय के निर्देश का रेफरेंस कलक्टर या उसके नॉमिनी को होगा और अपील राजस्व मण्डल को होगी।
30. नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति (Power of State Government to make Rules)
राज्य सरकार उन सभी मामलों के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनायेगा जिसके लिए उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है।
31. निरसन और व्यावृत्तियां (Repeal & Savings)
- (1) राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निवारण) अध्यादेश 1974 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) कथित अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी इसके अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही अधिनियम के अधीन की हुई या ग्रहण की हुई समझी जावेगी।

राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निराकरण) नियम 1976.

The Rajasthan Agricultural Credit Operations (Removal of Difficulties) Rules 1976.

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा नाम (Short title and extent)-
- (1) उपरोक्तानुसार होगा (टाइटल)
- (2) विस्तार क्षेत्र राजस्थान (समस्त) होगा।
- (3) राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी- (10.3.1976 से प्रभावी)
2. परिभाषाएं (Definitions)-
- (1) "अधिनियम" से तात्पर्य राजस्थान कृषि ऋण संक्रिया (कठिनाई का निराकरण) अधिनियम 1974 से है।
- (क) "धारा" से तात्पर्य उपरोक्त 2(i) क में परिभाषित अधिनियम की धारा से है।
- (ख) "धारा" से तात्पर्य उपरोक्त 2(i) क में परिभाषित अधिनियम की धारा से है।
3. बैंक के पक्ष में प्रभार और बंधक का रजिस्ट्रीकरण (Registration of Charge and mortgage in favour of Banks)- धारा 9(1)के अन्तर्गत जारी बन्धक पत्र हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुबंधित समय एक माह होगा। अतः दस्तावेज को बैंक द्वारा उक्त सीमा अवधि में आवश्यक रूप से पंजीयन हेतु उप पंजीयक को भेजा जाना चाहिये।
4. करस्थम और फसल या अन्य चल सम्पत्ति का विक्रय (Distrain and Sale of Crop or other movable Property)-
- 4(1) जिस जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में ऋण देने वाला बैंक स्थित है वहां नाम निर्दिष्ट धारा 5(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करने में सक्षम है। इतने पर भी, भूमि पर लगाई गई या भूमि से जुड़ी हुई खड़ी फसल अन्य उत्पाद या अन्य चल सम्पत्ति, के निष्पादन हेतु सक्षम (नॉमिनी) प्राधिकारी होगा। मानो कि बैंक या उसकी उप शाखा उप जिला/उपखण्ड में स्थित नहीं है।

- 4(2) अतिशोध्य (overdue) राशि के भुगतान करने में विलम्ब होने/असफल होने पर बैंक का शाखा प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन देगा।
- (1) कृषक का नाम
 - (2) उधार करार की प्रमाणित प्रतिलिपि
 - (3) लेखे की प्रमाणित प्रतिलिपि
 - (4) मूल व ब्याज की अतिशोध्य राशि
 - (5) फसल सहित अन्य सम्पत्ति का विवरण
 - (6) बैंक द्वारा वसूली हेतु किये गये प्रयासों का विवरण
 - (7) भुगतान न करने का कारण।
- 4(3) सूचनाओं व दस्तावेजों सहित प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी अपने आप को सन्तुष्ट करेंगे कि—
- (क) कृषक ने ऋण लिया है और उसकी एक किश्त अतिशोध्य (overdue) हो चुकी है।
 - (ख) प्रभार या बन्धक पूर्ण रूप से प्रभावी है।
 - (ग) ऋण या उसकी किश्त अतिशोध्य (overdue) हो चुकी है।
 - (घ) बैंक ने अतिशोध्य राशि की वसूली हेतु मांग पत्र जारी कर दिया है और उसे एक माह व्यतीत हो चुका है।
- 4(4) सक्षम अधिकारी व्यतिक्रमी कृषक को कारण बताओ नोटिस जारीकर राशि 15 दिन में भुगतान करने हेतु लिखेगा और कहेगा कि क्यों न करस्थम (seize) की गई सम्पत्ति को बेच दिया जाये। ऐसे नोटिस की प्रति बैंक को भी भेजी जानी चाहिए।
- 4(5) कारण बताओ नोटिस का समय व्यतीत होने के पश्चात् भी यदि राशि जमा नहीं कराई जाती है तो करस्थम की गई सम्पत्ति को बेचने की कार्यवाही सक्षम प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
- 4(6) ऐसी सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को बैंक को संदेय राशि (वसूली लागत सहित) के पश्चात् शेष राशि कृषक को वापिस कर दी जायेगी।
5. अचल सम्पत्ति के विक्रय द्वारा बैंक के देयों की वसूली—
(Recovery of dues of the banks by sale of Immovable property)
- (1) उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले कलक्टर/अतिरिक्त कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) तहसीलदार जहां पर अचल सम्पत्ति स्थित है इस अधिनियम की धारा 13(1) के अधीन विहित प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेगा।
 - (2) सम्बन्धित बैंक का शाखा प्रबंधक/अभिकर्ता वसूली किये जाने के लिए इप्सित ऋण के बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां प्रस्तुत करने वाला सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन पत्र इस धारा के प्रयोजनों के लिए देगा—
 - (i) कृषक का नाम
 - (ii) ऋण करार की प्रमाणित प्रतिलिपि
 - (iii) खाते का प्रमाणित विवरण
 - (iv) मूल और ब्याज की ओर अतिशोध्य (overdue) रकम तथा वह तारीख जिस पर वह अतिशोध्य हो गया।
 - (v) इसके रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित साक्ष्य के साथ बन्धक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि
 - (vi) ऐसे रूप में बेची जाने वाली इप्सित सम्पत्ति के मूल्यांकन का ब्यौरा
 - (vii) वसूली हेतु बैंक द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण
 - (3) यदि ऊपर दिये गये ब्यौरे की सूचना के साथ-साथ सक्षम अधिकारी को यह समाधान कर दिया जाता है—
 - (क) कि ऋण सम्यक रूप से है और राशि या किश्त अतिशोध्य हो चुकी है।
 - (ख) बैंक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा मांग पत्र कृषक को भेज चुका है और उसे एक माह की अवधि हो चुकी है।
 - (ग) जो सम्पत्ति बेची जानी है वह बैंक को प्रभारित या बन्धक है।
 - (4) यदि कृषक अपने दायित्व का प्रत्याख्यान (deny) करता है तो सक्षम प्राधिकारी उसे सुनने के पश्चात् 2 माह में याचिका का विनिश्चयन करेगा।
 - (5) यदि कृषक अपने दायित्व को नहीं करता है या असंदाय के लिए कोई कारण नहीं बताता है तो सक्षम प्राधिकारी अचल सम्पत्ति के विक्रय के आदेश देगा।
 - (6) इस प्रकार विक्रय से प्राप्त धन बैंक की देयता के विरुद्ध जमा करा दी जायेगी (मय कोस्ट वसूली के) व शेष राशि सम्बन्धित कृषक को लौटा दी जायेगी।
 - (7) समस्त करस्थम और समस्त विक्रय जो धारा 5(3) और 13(1) के अन्तर्गत प्रभावकारी बनाये गये वे सब राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन चल/अचल सम्पत्ति को कुर्की तथा विक्रय के वर्णित नियमों के समान होंगे।
 - (8) चल या अचल सम्पत्ति को निलाम करने की कार्यवाही के दौरान यदि पर्याप्त बोली नहीं लगाता है अथवा निलामी में पर्याप्त राशि (बोली) नहीं आती है तो बैंक पुनः विक्रय की प्रतीक्षा किये बिना विक्रय प्रक्रिया को बन्द कर सम्पत्ति को स्वयं अर्जित कर सकता है धारा 14 के अन्तर्गत।

- (9) सम्बन्धित बैंक अधिकारी जिला कलक्टर को इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए आवेदन कर सकेगा।
 - (10) जिला कलक्टर सभी वसूली कार्यवाहियों को रोकते हुए यह निर्देश दे सकेगा कि व्यतिक्रमकर्ता कृषक की सम्पतियां जो बन्धक रखी गई है वे बैंक के नाम रिकार्ड ऑफ राइट्स में अंकन करें।
 - (11) सक्षम अधिकारी यदि वैसा निवेदन किया जाय तो सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक/अभिकर्ता को ऐसी सम्पति सौंपने की कार्यवाही करेगा।
 - (12) बैंक ऐसे मामलों में कब्जा लेने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर अर्जित की गई सम्पति का विक्रय करेगा।
 - (13) धारा 14(3) के अन्तर्गत इस कालावधि के दौरान पट्टे पर दे सकेगा।
 - (14) ऐसी सम्पति का कोई विक्रय निम्नांकित निबन्धनों के अधीन होगा।
 - (i) खरीददार एक सद्भावी कृषक होना चाहिये।
 - (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति/कृषक से अर्जित भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति/कृषक को ही बेची जावेगी।
 - (iii) खरीददार कृषि अभिवृत्ति पर अधिकतम सीमा से सम्बन्धित विधी के अधीन होना चाहिये।
6. सामान्य— (General)—
- (1) समस्त प्रकार के नोटिस सम्मन एवं उद्घोषणाएं जो इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी की जावेगी वे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार ही होंगे।
 - (2) 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत की राशि अतिशोध्य रकम की वसूली के प्रभारों के रूप में वसूल योग्य होगी।
 - (3) सक्षम अधिकारी एक पंजिका का संधारण करेंगे।
 - (4) मासिक सूचना सेट प्रोफार्मा में राजस्व मण्डल को भेजेगा।

नोट— राज्य सरकार ने एक अधिसूचना दिनांक 23.11.1994 को जारी कर नियम 4 के उपनियम (1) (2) (3) (4) और (5) में व नियम 5 के उपनियम (1) (2) (3) (4) (5) और (11) व नियम 6 के उपनियम (3) में जिला कलक्टर/अतिरिक्त जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर के पश्चात् तहसीलदार शब्द अंकित किया है। अतः उक्त नियमों की व्याख्या में जहां कहीं भी सक्षम अधिकारी का उल्लेख किया गया है वहां उक्त सभी पदों के पश्चात् तहसीलदार शब्द पढ़ा जावे।

RRD.2000 Page 260

IN THE BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Revision/LR/17/99/Bhilwara

Devi alias Devi lal s/o Narain Balai r/o Geta Paroli
Teh. Kotadi, Bhilwara

... Revisioner

Versus

Smt. Dali w/o Balu Ram Suhalka, r/o Geta Paroli
Teh. Kotadi, Bhilwara and others

... Non-revisioners

S.B.

Shri Jagat Singh, Member

RAJASTHAN TENANCY ACT 1955 SECTION 42-Restriction on transfer of land is not applicable when land is transferred by public auction.

The language of Section 42 as also its object can be relied upon for giving a fruitful interpretation to Section 42. Provisions of Section 42 have been enacted for prohibiting, transfer of land of Scheduled caste or Scheduled tribe persons to non-scheduled caste or non-scheduled tribe persons on the ground that the weaker section of society shall be given protection. In order that affluent members of society may not exploit them, the protection given to the Scheduled caste or Scheduled Tribe persons is a recognition of their economic handicap and keeping that object in view the relevant provisions should be appropriately looked into so that the interest of the weaker sections of society are not jeopardized and the courts must protect their rights with greater vigilance.

Had the legislators intended to prohibit even auction sale, some provisions to that effect could be made in Section 42 itself or any rule or by laws to that effect could have been initiated. The bare reading of Section 42 makes it clear that any intentional sell, gift or bequeath by a Scheduled Caste or Scheduled Tribe tenant to a non-scheduled caste or Scheduled Tribe tenant is barred. Even if the term sale or the transfer envisaged by the Section is interpreted liberally that too will not lead to conclude that public auction sales are also covered by it.

(Para 3 & 4)

Cases Referred

1999 RBJ 21

1999 DNJ 740

Present

Shri Suraj Mal Kangwa, counsel, revisioner

Shri J.K. Pareek, counsel, Non-rev.No.1

Shri R.K. Gupta, Dy. Govt. Advocate, Non-rev. No.3

Ex-parte proceedings against Non-rev. No. 2

Dated 17-4-2000

DECISION

The revision petition has been filed u/s 84 of Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (In short the Act) against the order dated 18-10-97 and 2-11-97 delivered by ADM, Bhilwara which has been admitted for hearing on 1.4.99 by, the then learned Member. Today it has been fixed for final hearing before me and I have heard, at length, the learned counsel of the parties and have perused the impugned order along with the file of the case. The perusal of the file shows that Devi Lal is Balai by caste and is a Scheduled Caste person who took some loan from Bhilwara Bhumi Vikas Bank but could not pay the same and, therefore, the Bhilwara Bhumi Vikas Bank auctioned his agriculture land. In public auction dated 10.2.84 the higher bidder was Smt. Dali who was Suhalka an upper caste. The sale in her favour was confirmed on 23.5.84 and mutation No. 646 based on above auction sale was also opened in her name on 27.9.84. Subsequently, the ADM Bhilwara upon discovering that in auction sale the land of Scheduled caste was purchased by a non-Scheduled Caste person which according to him was against the mandatory provisions of Section 42 of Rajasthan Tenancy Act, 1955 and, therefore, he made reference, u/S 82 of the Act before the Board of Revenue which was registered under No. 96/96. On 29.9.97 the then learned member disposed of this reference by remanding the matter back to ADM, Bhilwara, after hearing both the parties, with the direction that he must first ascertain whether the purchaser was an upper caste and also that whether Devi Lal has repaid his debt to the Bank. But the learned ADM, Bhilwara without giving any notice to any of the parties by his order dated 18.10.97 has held that in view of government notification No.PA-5(42) Rajasthan/4/80 dated 1.5.81 in auction sales provisions of Section 42(b) of the Act are not made applicable and, therefore, he held that there is no justification for making this reference to the Board of Revenue, Subsequently, when Devi Lal came to know about the order dated 18.10.97 he filed an application before the ADM, Bhilwara praying that he has been delivered the order without giving hearing to the parties. Therefore, the same be recalled. That application of Devi Lal was dismissed by the order dated 21.11.97. Both these orders have been challenged before me by filling this revision petition.

2. I have heard, at length, the learned counsel of the parties and have given my thoughtful consideration to the rival contentions.
3. It is an admitted fact that through public auction sale dated 23.5.84 Smt. Dali being the highest bidder has purchased the disputed land. Admittedly. Smt. Dali was an upper caste. The only question of determination is that whether in public auction land of Scheduled Caste or Scheduled Tribe person cannot be purchased by an upper caste person. Mr. Kangwa the learned counsel of revisioner has relied upon Rajasthan High Court pronouncement "Laxman V/s Board of Revenue". 1999 6 RBJ 21. "Heja Vs Board of Revenue" 1999 DNJ Rajasthan 740. On the contrary Shri Pareek the learned counsel of purchaser has relied upon Section 42 itself that by it any sale, gift or bequest by a Scheduled caste or scheduled tribe tenant in favour of non-Scheduled caste or non-Scheduled tribe tenant is barred and that in auction sales it cannot be said that a scheduled caste or Scheduled tribe tenant has made any sale, gift or bequeath. I have minutely considered the above contention and pronouncements, there is no direct ruling on this matter and the language of Section 42 as also its object can be relied upon for giving a fruitful interpretation to Section 42. Provisions of Section 42 have been enacted for prohibiting, transfer of land of Scheduled caste or Scheduled tribe persons to non-scheduled caste or non-Scheduled tribe persons on the ground that the weaker section of society shall be given protection. In order that affluent members of society may not exploit them, the protection given to the Scheduled caste or Scheduled Tribe persons is a recognition of their economic handicap and keeping that object in view the relevant provisions should be appropriately looked into so that the interest of the weaker sections of society are not jeopardized and the courts must protect their rights with greater vigilance.
4. Had the legislators intended to prohibit even auction sale, some provisions to that effect could be made in Section 42 itself or any rule or by laws to that effect could have been initiated. The bare reading of Section 42 makes it clear that any intentional sell, gift or bequest by a Scheduled Caste or Scheduled Tribe tenant to a non-scheduled caste or

Scheduled Tribe tenant is barred. Even if the term sale or the transfer envisaged by the Section is interpreted liberally that too will not lead to conclude that public auction sales are also covered by it.

5. There is another aspect of the matter if public auction are also restricted then persons participated in public auction will be restricted and perhaps a Scheduled Caste or Scheduled Tribe tenant may not fetch that much price of the land which could have been received had the auction being opened to all sections of the society. Judging the matter from all angles in my view public auctions are not covered by the embargo of Section 42 of the Act. Therefore, even assuming that without giving a hearing to the parties to the case the learned court below had delivered order dated 18.10.1997 it does not prejudice any of the party, because the reference which has been previously made by the ADM, Bhilwara u/s 82 of the Act was subsequently not found to be worthwhile by the impugned order. Therefore, this revision petition to devoid of merit and stands dismissed.
6. Pronounced in the open court.

.....
(Board of Revenue for Rajasthan)
G.P. SHARMA-Member

RLW (2001) (1)
Revenue Supplement (21)

Naval Kishore
Versus
Bhourilal & Ors.

Appeal No.31/Jaipur of 2000, decided on 11th October 2000

Rajasthan Land Revenue Act, 1956, Sec. 135; Rajasthan Tenancy Act, 1955, Sec. 42 & Rajasthan Co-operative Society Act, Sec. 100-Mutation-Land mortgaged in favour of Bank-Mutation done in favour of Bank -Loan not repaid -Bank auctioned the land of Scheduled Caste through public auction-Held-Sale made by public auction does not come under the violation of S.42 who so ever may be the purchaser. Appeal accepted.

(Para-3)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, धारा 135, प्रार्थी काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 42 एवं राजस्थान कॉपरेटिव सोसायटी अधिनियम, धारा 100-नामान्तरकरण-जमीन बैंक के पास रहन रखी-ऋण राशि का भुगतान नहीं किया-नामान्तरकरण बैंक के नाम हो गया-सहकारी बैंक ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को लोक निलामी के जरीये विक्रय किया-अभिनिर्धारित -लोक निलामी के द्वारा विक्रय करने पर काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 से विक्रय बाधित नहीं होता है चाहे कोई भी क्रेता हो।

(पद संख्या 3)

Case Law Referred

1. Bhilwara Devi lal vs. Smt. Dali decided on 17.4.2000 (2000 RRD 260)

O.L.Dave, for Petitioner

R.C. Pareek, for Non-petitioner Nos. 1 & 4 and 6 to 8

Ex-parte against, Respondent No.5

Hagami Lal, Dy, Govt. Advocate

This is an appeal filed under Section 76 of the Rajasthan Land Revenue Act against the judgement of Divisional Commissioner Jaipur dated 5.4.2000 passed in appeal No. 5/2000 arising out of the facts that one Ramchander was original Khatedar of the lands under consideration. He mortgaged the land to Land Development Bank, Jaipur for obtaining loan. Since he failed to repay the loan therefore in turn the land in question was put to auction and in auction proceedings mutation was sanctioned by Assistant Settlement Officer on 9.8.98. This mutation No. 13/1 dated 9.8.89 was sought to be cancelled through Settlement Commissioner by way of forwarding the reference to the Board of Revenue and the said reference after hearing the parties was dismissed by the court on 29.9.99 and the mutation dated 9.8.89 was maintained. On the other side when original khatedar Ramchander expired mutation No.2 on 24.12.93 was sanctioned and the present appellants No.1 to 4 were entered a his heirs by the Naib Tehsildar. Subsequently present respondent No. 1 to 4 who are legal heirs of deceased Ramchander sold through registered sale deed new khasra No. 705 to 707 measuring 0.41 hactare to the extent of its half share to the present respondent No.6 and 7 on 16.9.95 On the basis of this sale deed another mutation No. 20 on 16.4.96 was sanctioned in favour of so called purchasers present respondent No.6 to 7 by the Naib Tehsildar. Besides this one half share out of Khasra No. 140 area 0.32 hactare was also sold to respondent No.8 on 26.12.95 through registered sale deed.

Mutation No. 14 dated 1.1.96 was also sanctioned by the Naib Tehsildar on this basis. Since the land of Ramchander was already auctioned by the Bank in view of the non-payment of loan raised by him therefore all these sale deeds and mutations were, it is alleged illegal. Against these mutations an appeal was preferred to Divisional Commissioner Jaipur by the present appellants which was dismissed on 5.4.2000. Hence the present second appeal.

2. I have heard the learned counsel for the respective parties and perused the record.
3. After examination of the submission made by the rival parties. I am of the view that since it is admitted fact in this case that the land in question measuring 11.19 bigha was originally in the khatedari of Ramchander son of Buxa Mina. He mortgaged the land in favour of Co-operative Development Bank Jaipur and mutation to this effect was also sanctioned by way of mutation No. 13/1 on 8.6.89. Later on the loan was not paid and the Co-operative Bank in the process of law auctioned the land in favour of present appellants on 9.8.89. Since it is admitted position of law that under Section 100 of the Rajasthan Co-operative Societies Act the Bank is free to auction the mortgaged land under Rule 92 read with Section 107 of the said Act therefore auction purchaser who-so-ever it be can take it. Under the circumstances such a transfer or sale which is made by public auction does not come under the ambit of violation of Section 42. Since it is legally permissible to put mortgage land for public auction when the loan is not paid to the Bank therefore it is clear in due process of law and such sale by way of auction does not attract provisions of Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act. In view of these facts the reference was rejected by the Board of Revenue on 29.9.99. Notwithstanding with above facts when mortgagor Ramchander died mutation No.2 was sanctioned in favour of his heirs on 24.12.93 which was certainly illegal and by taking this advantage of illegal mutation heirs of Ramchander sold lands in part first to the present respondent No. 6 and 7 on 16.9.95. Mutation of which was sanctioned on 16.4.96 i.e. mutation No. 20 and remaining half share was sold to present respondent No. 8 on 26.12.95. Mutation of which was sanctioned as No. 14 dated 1.1.96. It is strange to state that when appellants preferred an appeal to impeach these mutations the Divisional Commissioner dismissed the appeal on the ground that such mutation after the death of deceased Ramchander can be sanctioned in favour of his heirs. Here it is worthwhile to mention that when the deceased Ramchander had already mortgaged the property in his lifetime to Co-operative Development Bank and for non-payment of the loan to Bank auctioned the property through public auction and the purchaser had been given possession and mutations as aforesaid sanction in the favour. Then as per provisions of Transfer of Property Act there remains no land with Ramchander even before his death. When there is no land left by Ramchander no question arises to sanction mutation with respect to this land in favour of his heirs the present respondent No. 1 to 4. It is clear case of defrauding the authorities which is again clear case of legal dishonesty. When the facts have come to the notice of the Divisional Commissioner he has been placed to observe that as per previous order of the Board of Revenue which was passed in the reference proceedings on 29.9.99 in reference case LR/682/97 the party is free to proceed: Under the circumstances there is no question in any way to infringe the public policy. Similarly the Board of Revenue in another case decided by learned Member Shri Jagat Singhji in the revision case No. LR/117/99/Bhilwara Devi Lal vs. Smt. Dali decided on 17.4.2000.
1. Propounded the same view that when the land was auctioned by the Bank in non-payment of the Bank dues provisions of Section 42 do not apply and no question arises to infringe public policy.
4. In view of the above facts and circumstances and the reasons indicated above I have no option but to accept the appeal and set aside the impugned judgment dated 5.4.2000 including mutation No.2 dt. 24.12.93, mutation No. 20 dt. 16.4.93 as well as mutation No. 14 dt. 1.1.96 are hereby quashed.
5. Pronounced in open court.

.....